

फर्द अहकाम
कमलेश बनाम कैलरा वर्ग

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या... 19/2013 T. 2.


दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष
विवरण

31/1/25

पत्रावली पेश हुई वहील प्रार्थी उपस्थित।
पक्षील प्रार्थी को आवाज दिलाई गई। कोई
उपस्थित नहीं हुए। बार - बार आवाज
दिलाई गई फिर भी कोई उपस्थित
नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका
है। इसलिए प्रार्थी का प्रा. पत्र आख्याई
निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल
शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो
दाखिल दफ्तर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
फागी